न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::– 56/2012

मांगीबाई पुत्री जयसिंह जी जाति धाकड निवासी रायता तह0 बेगूँ
वादीया

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र जयसिंह जी जाति धाकड निवासी रायता तह0 बेगूँ
2. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बेगूँ
3. भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ
4. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ
5. मंगीलाल पुत्र कन्हैयालाल धाकड निवासी रायत तह0 बेगूँ
6. घीसीबाई पत्नि कन्हैयांलाल धाकड निवासी रायता तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीया
श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1

निर्णय दिनांक :– 17.07.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीया का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक संपति की कृषि आराजीयात ग्राम रायत पटवार मण्डल रायता तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ मे स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	लगान
78	207	0.0570	2.47
	223	0.2590	7.80
	226	0.1050	3.17
	482	0.0890	2.59
	757	0.2990	10.17 (आदेश दिनांक 15.10.24से र्तक)
	802	0.3800	16.16
	998	0.0570	खड्डा
	999	0.5450	1.36
	1002	0.1700	1.58
	1150/205	0.0240	0.51
	1153/230	0.0320	0.08
	1161/715	0.0080	0.02
	कीता–12 रकबा	2.0250 हैक्टर	45.91

यह कि कलम संख्या 1 मे वर्णित कृषि आराजीया तमे मुझ वादीया का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा निहित है मुझ वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य लगान का एवं सीमा का विवाद बना रहता है इस हेतु मैने कन्हैयॉलाल के पुत्र मांगीलाल एवं उसकी पत्नी घीसीबाई को तहसील बेगूँ में चलकर आपसी सहमति से वाद वर्णित आराजीयात का विभाजन कराने हेतु दिनांक 01.04.2012 को कहा तो घीसीबाई एवं मांगीलाल ने आपसी सहमति से आराजीयात का बंटवारा कराने से मना कर दिया एवं कहा कि तुम्हे जरूरत हो तो दावा करके बंटवारा करवा लो। इसलिए न्यायालय श्रीमान में मुझ वादीया को अपने हिस्से का विभाजन कराने हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पडी।

यह कि मुझ वादीया का 1/2 हक हिस्सा अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में भी खाता अलग किये जाने हेत यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत हैं। प्रतिवादी संख्या 1 कन्हैयालाल द्वारा वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात पर ऋण लेने से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा प्रबंधक जी प्रकरण में पक्षकार बनाया है। भूमिधारी जी तहसीलदार साहब

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

आवश्यक पक्षकार होने से एवं जिला कलेक्टर साहब राज्य के प्रतिनिधि होने से वाद पत्र में पक्षकार बनाये गये है। वादवर्णित कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान आप मे प्रस्तुत है।

वाद कारण दिनांक 01.04.2012 को प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र एवं पत्नी द्वारा आराजीयात का विभाजन कराने से मना कर देने से उत्पन्न हुआ है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत यह वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार की डिक्री फरमाई जावे :—

(क) कि वादपत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित कृषि आराजीयात का विभाजन (बंटवारा) किया जाकर मुझ वादीया का 1/2 हक हिस्सा अलग किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में भी खाते अलग अलग किये जाने की डिक्री फरमाई जावें।

(ख) कि वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क मुझ वादीया को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीया हो प्रतिवादी से दिलाया जावें।

वादीया का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गयां। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए प्रथक से प्रतिवाद पत्र (काउण्टरक्लेम) प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीसंख्या 1 के पुत्र मांगीलाल पुत्र कन्हैयॉलाल की ओर से इस वादपत्र का जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि :—

1— यह कि वाद पत्र की कलम नं. 1 गलत होने से अस्वीकार है। वाद वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीसं. 1 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक संपति नहीं होकर जयसिंह जी की स्वअर्जित संपति है जिसका उनके जीवनकाल में ही जयसिंह जी ने उनकी समस्त चल अचल संपति मुझ प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित करवा दिया था तभी से वाद वर्णित आराजी पर मै तनहा काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। वादी एवं प्रवितादी का कब्जा कभी उक्त विवादित आराजीयात पर नही रहा है न ही है।

2— यह कि वाद पत्र की कालम नं0 2 गलत होने से अस्वीकार है। वादी एवं प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा वाद वर्णित विवादित आराजी मे है ही नहीं। जयसिंह जी द्वारा मुझ प्रतिवादी संख्या 5 मांगीलाल के पक्ष में वसीयत करा देने से सम्पूर्ण आराजी का मालिक मै हूँ व विवादित आराजी में मुझ प्रतिवादी संख्या 5 का निरन्तर कब्जा काश्त है वादी एवं प्रवितादी संख्या 1 का कभी उक्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा और न ही है। वादी ने गलत आधार तथ्यों का सहारा लेकर झुठा वाद पत्र पेश किया जो चलने योग्य नहीं है।

3— यह कि वाद पत्र की कालम नं. 3 गलत होने से अस्वीकार है। वादीया का हक हिस्सा ही विवादित आराजी में नहीं है तो विभाजन करने का कोई औचित्य नहीं है।

4— यह कि वाद पत्र की कालम नं. 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। पक्षकार बनाने का कथन कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

5— यह कि वाद पत्र की कॉलम नं. 5 कानूनी होने से जवाब की आवश्यक नहीं है।

6— यह कि वाद पत्र की कॉलम नं0 6 गलत होने से अस्वीकार है। वादीया का कोई हक ही नहीं है तो मियाद का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

7— यह कि वाद पत्र की कॉलम नं0 7, 8 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

8— यह कि वाद पत्र की कॉलम नं0 9 गलत होने से अस्वीकार है। वादीया का हक हिस्सा ही विवादित आराजी में नहीं है तो विभाजन कराने से मना करने का कथन सर्वथा मिथ्या होकर मनगढन्त होने से वाद कारण पैदा होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। काउण्टर क्लेम पृथक से पेश किया जायेगा।

अतः जवाब दावा पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि वादीया का वाद पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

दावा पत्रावली में प्रतिवादी मांगीलाल पिता कन्हैयॉलाल धाकड द्वारा इस वादपत्र के विरूद्ध एक प्रतिवादी पत्र (काउण्टरक्लेम) जो कि श्रीमति मांगीबाई पुत्री जयसिंह , कन्हैयालाल पुत्र जयसिंह , भूमिधारी तहसीलदार बेगूं एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए काउन्टर क्लेम में प्रतिवादी संख्या 5 व काउन्टरक्लेम कर्ता मांगीलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड की ओर से काउन्टर वादपत्र निम्न प्रकार हैः—

1— यह कि वाद वर्णित विवादित आराजीयात खाता संख्या 78 कुल कीता 12 कुल रकबा 2.0250 हैक्टर भूमि मौजा रायता पटवार हल्का रायत में स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 27 होकर आराजी नम्बर 207, 223, 226, 482,757, 802, 998, 999, 1002, 1150/205, 1153/230, 1161/715 कुल

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

कीता–12 कुल रकबा 2.0250 हैक्टर वादी मांगीबाई एवं प्रतिवादी संख्या 1 कन्हैयालाल की संयुक्त खातेदारी की पैतृक संपति नहीं होकर स्व. जयसिंह जी की स्वअर्जित संपति है जिसका उनके जीवनकाल में ही स्व. जयसिंह जी ने उनकी समस्त चल अचल संपति मुझ प्रतिवादी संख्या 5 व काउन्टर क्लेमकर्ता मोंगीलाल के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा (इच्छा पत्र) दिनांक 14.09.1999 को उप पंजियक बेगूं के यहाँ निष्पादित करवा दिया था तभी से वाद वर्णित विवादित आराजी पर मै तनहा काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। वादीया मांगीबाई एवं प्रतिवादी कन्हैयालाल का मौके पर कब्जा कभी उक्त विवादित आराजीयात पर नहीं रहा है न ही है।

2– यह कि वादीया मांगीबाई एवं प्रतिवादी कन्हैयालाल का कोई हक हिस्सा वाद वर्णित विवादित आराजी मे नहीं है। स्व.जयसिंह जी द्वारा मुझ प्रतिवादी सं. 5 व काउन्टर क्लेम कर्ता मांगीलाल के पक्ष में वसीयत करा देने से सम्पूर्ण आराजी का मालिक मै हूँ व विवादित आराजी मे मेरा निरन्तर कब्जा काश्त है, इसलिए काउन्टर क्लेम कर्ता मांगीलाल उक्त विवादित आराजी को अपने नाम खातदेारी हक में घोषणा कराने का अधिकारी है। वादीया ने गलत आधार तथ्यो का सहरा लेकर झुठा वाद पत्र पेश किया जो चलने योग्य नहीं है।

3– यह कि काउन्टर क्लेम कर्ता मांगीलाल वसीयत अनुसार विवादित आराजीयात का तनहा मालिक होने से उक्त खाते से वादीया मांगीवाई एवं प्रतिवादी कन्हैयालाल का नाम खातेदारी हक से हटाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 5 व काउन्टर क्लेमकर्ता मांगीलाल पुत्र कन्हैयालाल धाकड निवासी रायता के नाम खातेदारी हक से घोषणा क रनाम खाते मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

4– यह कि वाद वर्णित विवादित आराजी पर काउन्टर क्लेम कर्ता मांगीलाल का वसीयत के निष्पादन से लगभग 17 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त होरक तन्हा मालिक है इसलिए काउन्टर वाद पत्र के प्रतिवादी सं. 1,2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि दौराने वाद व बाद घोषणा प्रतिवादी सं. 1 व 2 काउन्टर क्लेम कर्ता के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे न करावे न उक्त विवादित आराजीयात को रहन बय व बक्षीस आदि कर खुर्द बुर्द करें न करावे व काउन्टर क्लेम कर्ता को उसका उपयोग उपभोग शांतिपूर्ण करने देवे।

5– यह कि वाद कारण वादीया द्वारा वाद प्रस्तुत करने व काउन्टर क्लेम कर्ता को उक्त वाद की जानकारी आने से पैदा होकर हर रोज वर्तमान है।

6– यह कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वाद में आवश्यक पक्षकार भूमिधारी व प्रतिनिधी राजस्थान सरकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

7– यह कि वाद वर्णित विवादित आराजीजयात तह. बेगूं में स्थित होने व पक्षकार भी तह. बेगूं के स्थाई निवासी होने के कारण वाद श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रृवणाधिकार को होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्रीमान से काउन्टरक्लेम कर्ता व प्रतिवादी संख्या 5 निम्न अनुतोष की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी हैः–

क– कि वाद वर्णित मौजा रायता पटवार हल्का रायत तह. बेगूं में स्थित विवादित आराजीयात जिसके वर्तमान खाता संख्या 27 होकर आराजी नम्बर 207, 223, 226, 482,757, 802, 998, 999, 1002, 1150/205, 1153/230, 1161/715 कुल कीता–12 कुल रकबा 2.0250 हैक्टर मे से प्रतिवादीगण मांगीबाई व कन्हैयालाल का नाम हटाया जाकर काउन्टर क्लेम कर्ता अर्थात प्रतिवादी सं. 5 के नाम पर खातेदारी की घोषणा की जावें।

ख– कि काउन्टर वाद पत्र के प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे दौराने वाद व बाद घोषणा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का क्लेम कर्ता (प्रतिवादी सं. 5) के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें न करावे न उक्त विवादित आराजीयात को रहन बय व बक्षीस आदि कर खुर्द बुर्द न करे न करावे व काउन्टरक्लेम कर्ता मांगीलाल (प्रतिवादी सं. 5) को उसका उपयोग उपभोग शांतिपूर्ण करने देवें।

ग– कि अन्य कोई अनुतोष जो बहक काउन्टर क्लेम कर्ता मांगीलाल (प्रतिवादी सं. 5) हो व विरूद्ध प्रतिवादीगण हो प्रदान किया जावें।

दावा पत्रावली में प्रतिवादी मांगीलाल का जवाब दावा एवं काउन्टरक्लेम (प्रतिवाद पत्र) प्रस्तुत होने पर प्रति अधिवक्ता वादीया को दी गई जिन्होने प्रस्तुत काउन्टरक्लेम का जवाब निम्न प्रकार से पेश कियाः–

1– यह कि प्रतिवादपत्र की कलम संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है। वाद एवं इस कलम में वर्णित आराजीयात पैतृक सम्पत्ति होकर जयसिंह जी की स्वअर्जित नहीं है। साथ ही जयसिंह जी ने प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में कोई विधिक एवं वैद्य वसियत नहीं कराई है, यदि कोई ववसियत होना प्रतिवादीसंख्या 5 कहता है तो वह या तो फर्जी है या बनावटी ,शुन्य एवं अवैध है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

2- यह कि प्रतिवादपत्र की कलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में न तो कोई वसियत की गई है एवं न ही स्व0 जयसिंह जी को वसियत करने का अधिकार था इस प्रकार काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं0 5 सव्यय निरस्त होने योग्य हैं।
3- यह कि प्रतिवादपत्र की कलम संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है। मांगीलाल के पक्ष मे न तो कोई विधिक एवं वैद्य वसियत है एवं न ही किया जाना संभव था जिससे प्रतिवादी सं0 5 का कोई वादाधिकार नहीं बनता है एवं काउन्टर क्लेम निरस्त होने योग्य है।
4- यह कि प्रतिवादपत्र की कलम संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। वसियत के निष्पादन वर्ष 1999 का प्रतिवादी ने अंकित किया है एवं इस कलम में वसियत के निष्पादन को 17 वर्ष बताया है जो अपने आप में विरोधाभाषी कथन होकर प्रतिवादी सं0 5 की गलत बयानी को दर्शाता है, इस प्रकार प्रतिवादी सं0 5 का काउंटर क्लेम गलत होकर निरस्त होने योग्य हैं।
5- यह कि प्रतिवादपत्र की कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है।
6- यह कि प्रतिवादपत्र की कलम संख्या 6,7व 8 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।
7- यह कि प्रतिवादपत्र की कलम संख्या 9 गलत होकर अस्वीकार है। व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 क में वर्णित प्रावधानानुसार प्रतिवादपत्र अवधि बाहर होकर निरस्त योग्य है।
अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादपत्र (काउन्टर क्लेम) सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

इस दावा पत्रावली में वादपत्र तथा वादपत्र के जवाब एवं प्रस्तुत काउन्टर क्लेम (प्रतिवादपत्र) तथा प्रतिवादपत्र के जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात पत्रावली में निम्नलिखित तनकी पत्र पृथक से कायम किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया जो निम्न प्रकार से है :-
1- आया कि मौजा रायत पटवार हल्का रायता की खाता संख्या 78 में अंकित आराजी संख्या 207, 223, 226, 482,757, 802, 998, 999, 1002, 1150/205, 1153/230, 1161/715 कुल कीता-12 कुल रकबा 2.0250 हैक्टर कृषि आराजीयात का विभाजन (बटवारा) किया जाकर वादीया का 1/2 हिस्सा अलग किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में खाते अलग अलग किये जाने की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है? वादीया
2- आया कि वाद वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक सम्पत्ति नहीं होकर जयसिंह जी की स्वअर्जित सम्पति है, जो उनके जीवनकाल में ही समस्त चल अचल संपति मुझ प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित किये जाने से जयसिंह की सम्पुर्ण आराजी पर कब्जा काश्त होने तथा मालिक होने से वाद वादी का खारिज होने योग्य हैं। प्रतिवादी सं. 5
3- आया कि वाद वर्णित आराजी मौजा रायत प0ह0 रायता की खाता संख्या 78 में अंकित आराजी संख्या 207, 223, 226, 482,757, 802, 998, 999, 1002, 1150/205, 1153/230, 1161/715 कुल कीता-12 कुल रकबा 2.0250 हैक्टर मे से प्रतिवादीगण मांगीबाई व कन्हैयालाल का नाम हटाया जाकर काउन्टर क्लेम कर्ता अर्थात प्रतिवादी संख्या 5 मांगीलाल के नाम पर खातेदारी घोषणा किये जाने के प्रतिवादी संख्या 5 / काउन्टर क्लेमकर्ता अधिकारी है? प्रति05 काउन्टर क्लेमकर्ता
4- आया कि काउन्टर वादपत्र के प्रतिवादी संख्या 1,2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि दौरान वाद व बाद घोषणा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काउन्टरक्लेमकर्ता (प्रतिवादी संख्या 5) के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे व न किसी अन्य से करावे तथा विवादित आराजीयात को रहन कय बक्षीस आदि कर खुर्द बुर्द न करें की आज्ञप्ति प्राप्त करने का का0क्लेमकर्ता अधिकारी है?
प्रति0 5/काउन्टर क्लेमकर्ता
5- आया कि प्रतिवाद पत्र में बताये गये सारे तथ्य गलत है। वाद वर्णित आराजी पैतृक है तथा प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में न तो कोई वसियत की गयी है और न ही स्व0 जयसिंह जी को वसियत करने का अधिकार था जिससे प्रतिवादी संख्या 5 को कोई वादाधिकार नहीं बनता है। प्रतिवाद/काउन्टरक्लेम खारिज होने योग्य है? वादीया /का0क्लेम प्रति0 1
6- दादरसी ?

पत्रावली पर तनकी कायम किये जाने के पश्चात वादी साक्ष्य हेतु वादीया मांगीबाई पुत्री जयसिंह जी धाकड पत्नी काशीराम जी धाकड द्वारा साक्ष्य हेतु अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया, वादीया मांगीबाई ने मुख्य परीक्षण में अपने बयानों को कलमबद्ध कराते हुए प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया तथा अधिवक्ता प्रतिवादी की जिरह में उन्होने बताया कि विवादित जमीन जयसिंह जी को अलोट हुई हो यह कहना गलत है, यह कहना सही है कि मदनलाल शर्मा छोटे उत्थेन को जानती हूँ यह उनके राखी डोरे का है। मै घीसालाल पिता बरदीचन्द्र गुर्जर को नहीं जानती। यह कहना गलत है कि कन्हैयालाल कोई काम पत्ता नहीं करता था इसलिए जयसिंह जी ने मांगीलाल के नाम पर कोई वसीयत की हो। वाद वर्णित विवादित आराजयीात पर अभी मांगीलाल ही काश्त कर रहा है। यह कहना सही है कि कन्हैयालाल लापता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यसिंह जी को मरे हुए 60–70 साल हो गये हो तो मुझे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि जयसिंह जी के जीवनकाल से ही मांगीलाल उनके साथ रहकर खेती बाडी देख रहा था। मै अभी ससुराल में ही रह रही हूँ मुझे ससुराल में 40–50 साल हो गये।

वादीया की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादी (काउन्टरक्लेम कर्ता) मांगीलाल पिता कन्हैयालाल द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, तथा गवाह बंशीलाल पिता लखमा धाकड व गवाह घीसालाल पिता बरदा जी गुर्जर के साक्ष्य प्रतिवादी हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। मुख्य परीक्षण में प्रतिवादी द्वारा अपने बयानो को कलमबद्ध कराते हुए दस्तावेज प्रदर्श कराये तथा अधिवक्ता जिरह में मांगीलाल ने बताया कि वर्णित भूमि 13.50 बीघा लगभग है। जयसिंह जी चार भाई है,जगन्नाथ धन्ना किशना जयसिंह चारो सगे भाई थे। किसके कितनी जमीन पाती आयी है मुझे पता नहीं है। जयसिह का स्वर्गवास सन 2008 में हुआ था। जयसिंह जी का नामातरण कब खुला मुझे ध्यान नहीं है। फिर कहा कि जयसिंह के फोत होने पर नामान्तरण मेरे पिता कन्हैयालाल एवं बुआ मांगीबाई के नाम पर खुला जिसको पटवारी ने खोला था मै तो सिर्फ गया था, पटवारी जी ने जो इंतकाल खोला उसकी मैने अपील की थी। मैने वसीयत पटवारी जी कैलाश जी को 12 दिनों के अंदर ही बता दी थी, जयसिंह जी मृत्यु से पूर्व महिने डेढ महिने बीमार रहे थे। यह कहना सही है कि मेरे पिता जी और जयसिंह जी में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मेरे पिता के कारण जयसिंह जी डिस्टर्ब रहते थे।वादीया मांगीबाई मेरी बुआ जी है। जमीन का बंटवारा 2015 में करने आये थे उस बंटवारे को मेरे सामने किया लेकिन मुझे मंजूर नहीं था क्येा कि मेरे नाम पर वसीयत थी। पर्चा मौका प्रदर्श–4 है। मेरे पिता जी कन्हैयालाल जी 18 साल से लापता है। विगत 18 वर्षो से गहस्थी खेती बाडी सब मै ही संभाल रहा हूँ। जब मेरे नाम पर वसीयत कराई तब मै तहसील में आया था। उस समय मदनलाल पिता छोगा जी आमेटा उत्थेन के और घीसालाल पिता बरदा जी गुर्जर हमस ब 10 बजे तहसील में आये और 4 बजे यह काम हुआ।

गवाह घीसालाल पिता बरदा गुर्जर ने मुख्य परीक्षण में बयान कलमबद्ध कराते हुए जिरह में कहा है कि कन्हैयालाल के पिता जी का नाम जयसिंह जी है। कन्हैयालाल कहा रहता है मुझे पता नहीं है। जयसिंह जी की लडकी का नाम मांगीबाई है। यह कहना गलत है कि जयसिंह जी की सेवा मांगीबाई कर रही हो बल्कि पोता ही कर रहा थां।

दावा पत्रावली में साक्ष्य वादीया एवं प्रतिवादी की पूर्ण होने के पश्चात पत्रावली में उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। बहस में अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस वादपत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजीयात जो कि जयसिंह की पुश्तैनी आराजी है उसमें से आराजी संख्या 757 जयसिंह जी के समय ही बिक गयी। निवेदन है कि आराजी संख्या 757 को छोडकर बाकी की कृषि भूमि का विभाजन किया जावे।

बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी (काउन्टरक्लेमकर्ता) द्वारा निवेदन किया कि कृषि आराजी कुल कीता 12थी, जो आराजी जयसिंह द्वारा विक्रय की गई जो दिनांक 15.05.2006 को की गई , यदि बंटवारा होगा तो इस आराजी नम्बर का भी होगा, जब विक्रयशुदा आराजी नम्बर प्यारीबाई को विक्रय की गई थी जो इस वादपत्र में पक्षकार नहीं है तो वादपत्र में अंकित पक्षकारो के हक हिस्से में चली जायेगी।

बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय प्रस्तुत दस्तावेज का उल्लेख करते हुए इस वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र का निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीया का है, वादीया द्वारा जो दस्तावेज इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत किये है उनमें प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा रायता की सम्वत 2064 से 67 तक की पेश की है जिसमें वर्णित कृषि आराजी संख्या 207, 223, 226, 482,757, 802, 998, 999, 1002, 1150/205, 1153/230, 1161/715 कुल कीता–12 कुल रकबा 2.0250 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री जयसिंह पिता रूपा धाकड सा.देह खातेदार दर्ज थे जिसमें नोट अकित किया हुआ है कि नामा.सं. 731 विरासत 30.06.2009 से खाता कन्हैयालाल मांगीबाई पिता जयसिंह धाकड सा.देह खातेदार के नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई का नोट अंकित है। प्रदर्श– 2 नकल भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग की नकल है जो पृष्ठ 1 से लगायत 11 तक है। इस मिलान भू–प्रबन्ध की नकल में वर्तमान कृषि आराजी के जो गत नम्बरान थे वह निम्न प्रकार से थे आराजी संख्या 207 का 110मी., 223 के 128, 226 के 129, 482 के 460मी व 459मी.802 के 741मी.,742,739मि., 998 के 827/1048, 999 के 894मि., 1002 के 825मि. 829मि,1150/205 के 2081153/230 के 1161/715 के, इन गत नम्बरान का भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट की नकले पेश की है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] (चित्तौड़गढ़)

इस वादपत्र का इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2015 को लोक अदालत कैम्प आँवलहेडा पर निर्णय करते हुए प्राथमिक डिक्री किया जाने का आदेश कैम्प में दिया गया ,जिसकी बंटवारा रिपोर्ट हल्का पटवार द्वारा कैम्प के दिन ही तैयार करते हुए इस पत्रावली में पेश की गई जो दिनांक 07.07. 2015 को शामिल पत्रावली की गई। जहाँ तक इस न्यायालय द्वारा लोक अदालत कैम्प में वादीया के पक्ष में जो प्राथमिक डिक्री की गई थी वह एकपक्षीय कार्यवाही थी,जबकि राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि लोक अदालत में सभी पक्षकारान की सहमती होने पर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए। जिसमें मांगीलाल उपस्थित नहीं था, जबकि विभाजन किये जाने हेतु पटवारी हल्का द्वारा मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया था जो कि कृषि भूमि पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रतीत नहीं होता है। इस विभाजन प्रस्तावकी जानकारी जब मांगीलाल को हुई तब उन्होने इस दावा पत्रावली में उनके नाम पर निष्पादित पंजीकृत वसीयत पत्र के आधार पर पक्षकार बनते हुए प्रतिवाद पत्र पेश किया है।

हमारे द्वारा पत्रावली की गहनता से अवलोकन किया गया जिसमें दोनो पक्ष वादीया एवं प्रतिवादी मांगीलाल द्वारा न तो अपने वादपत्र में न ही अपने प्रतिवाद पत्र में यह तथ्य सामने लाया गया कि कन्हैयॉलाल पिता जयसिंह लापता व्यक्ति है। जब नामान्तरण संख्या 731 जो कि कन्हैयालाल व मांगीबाई के नाम पर विरासत से खोला गया था उस वक्त भी कन्हैयालाल मौजूद नहीं था। इस विरासत के इंतकाल के सम्बन्ध में गहनता से जॉच करते हुए यह नामान्तरण खोला जाना प्रतीत नहीं होता है, क्यो कि वाद वर्णित कृषि भूमि को कन्हैयालाल का पुत्र मांगीलाल ही काश्त करता चला आ रहा है, तो हल्का पटवारी को भोतिक कब्जे के सम्बन्ध में जॉच करते हुए इस विरासत के नामान्तरण की कार्यवाही की जानी थी, इस विरासत के नामान्तरण की जानकारी प्रतिवादी मांगीलाल को नहीं होना बताया गया है तथा उनके द्वारा इस प्रकरण में सी.पी.सी. आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए खुद को पक्षकार बनाया जाकर प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया गया है। चूँकि वर्णित कृषि आराजी में वादीया मांगीबाई के भाई कन्हैयालाल जो कि काफी अर्से से परिवार से कही जा चुके थे तो किस आधार पर उनका नाम नामान्तरण मे अंकित किया गया है, यह तथ्य स्पष्ट नहीं है।

इस दावा पत्रावली में वर्णित कृषि भूमि को पुश्तैनी कृषि भूमि वादीया द्वारा बताया गया है, जबकि ऐसा कोई ठोस दस्तावेज वक्त गवाह पत्रावली में प्रस्तुत कर प्रदर्श नहीं कराया गया है जो यह सिद्ध करता हो कि वर्णित कृषि आराजीयात पैतृक कृषि आराजी थी, लेकिन वादीया की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा एक नकल जमाबंदी मौजा रायता की सम्वत 2013 से 2016 तक की पेश की है जिसमें गत कृषि आराजी नम्बर 108, 110, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 459, 460, 495, 740, 805, 741, 742, 925, 927/1048, 829, 460/938, 440/988, 737/1047 कीता–20 रकबा 23बीघा 1 बिस्वा भूमि रूपा पिता बरदा धाकड के नाम पर खातेदारी से दर्ज थी। जैसा कि बयानो में बताया गया है कि जयसिंह जी चार भाई थे, जगन्नाथ धन्ना किशना जयसिंह चारो सगे भाई थे। जैसा कि हम उपर स्पष्ट कर चुके है कि प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श नहीं की गई है लेकिन इसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है, परन्तु कौन कौन सी कृषि गत आराजी के खातेदार जयसिंह पिता रूपा के खाते में अंकित की गई है ऐसी कोई जमाबंदी इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत नही की गई है।

इस दावा पत्रावली में प्रतिवादी (काउन्टर क्लेमकर्ता) द्वारा जो दस्तावेज पेश किये है उनमें प्रदर्श–डी1 जो कि पंजीकृत वसीयतनामा जो कि खातेदार जयसिंह पिता रूपा धाकड के द्वारा मांगीलाल पुत्र कन्हैयालाल धाकड के पक्ष में निष्पादित किया गया है, इस पंजीकृत वसीयतनामा में जो उल्लेख किया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि " पुत्री मांगीबाई की शादी करदी गई, जो अपने ससुराल में रहकर गृहस्थ जीवन का पालन कर रही है, एवं पुत्री मांगीबाई को जो कुछ देना था मै दे चुका हूँ। मेरी मृत्यु पश्चात चल अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी प्रकार का वाद विवाद न हो इस गरज से आज दिन यह वसीयत नामा निष्पादित कर रहा हूँ" इस प्रकार इस पंजीकृत वसीयत नामा जो दिनांक 14.09.1999 को निष्पादित की गई थी , इस पंजीकृत वसीयतनामा की जॉच किये बगैर ही एवं वाद वर्णित कृषि भूमि पर भोतिक कब्जा काश्त की जॉच नहीं करते हुए मृतक खातेदार जयसिंह पिता रूपा की कृषि आराजीयात का विरासत का इन्तकाल 737 खोला गया था वह हमारी विनम्र राय से प्रतिवादी काउन्टरक्लेम प्रस्तुत कर्ता के लिए शुन्य है, जब कन्हैयॉलाल मौजूद ही नही था तो उनका नाम इस विरासत के नामान्तरण में लगाया जाना इस तथ्य को प्रकट करता है कि पटवारी हल्का ने केवल यह विरासत का नामान्तरण साधारणतः पूछ ताछ करते हुए गलत विरासत का नामान्तरण खोला गया है। यह नामान्तरण संख्या 737 जो कि दिनांक 30.06.2009 को खोला गया है जबकि माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय बेगूँ द्वारा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

न्हैयांलाल पुत्र जयसिंह को ग्राम रायत से अक्टुबर 2005 से लापता होना अंकित किया है तथा इनके पुत्र एवं पत्नी मांगीलाल व घीसीबाई के पक्ष में कन्हैयालाल की सिविल डेथ की घोषणा की गई है। जब कन्हैयालाल वर्ष 2005 से ही ग्राम रायता से लापता था तो उनका नाम विरासत से इन्तकाल में किस आधार पर अंकित किया गया है। वर्णित कृषि आराजीयात जो कि जयसिंह पिता रूपा की कृषि आराजीयात थी जिसका विरासत से इन्तकाल संख्या 737 जो दिनांक 30.06.2009 को खोला गया है उसे हम निरस्त करना न्यायसंगत समझते है।

जैसा कि न्याय सिद्धान्त विदित है कि किसी भी पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त कराये बिना वह दस्तावेज प्रभावशाली होता है, ऐसी स्थिती में वर्णित कृषि भूमि को कन्हैयालाल व मांगीबाई के नाम पर किस आधार पर दर्ज कर दिया गया है। नियमानुसार पंजीकृत वसीयतनामा को नियमानुसार सिविल न्यायालय से निरस्त करने के पश्चात ही यह विरासत की कार्यवाही किया जाना न्याय संगत होता है, जो नहीं की गई है। यह जानकारी न्यायालय को भी है कि पैत्रिक सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया गया है लेकिन तथ्यो की जॉच करते हुए ही पुत्री का नाम अंकित किया जाना चाहिए था। पंजीकृत वसीयत नामा जो कि दिनांक 14.09.1999 को निष्पादित किया गया है वह पुत्री के अधिकार को दिये जाने से पूर्व का दस्तावेज है। इस प्रकार इन सभी दस्तावेजी साक्ष्य व कृषि आराजी पर भौतिक कब्जा न होने व अन्य सभी तथ्यो को ध्यान में रखते हुए वादीया मांगीबाई वर्णित कृषि आराजीयात का विभाजन करा पाने के अधिकारी नहीं पाई जाती है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीया निर्णित की जाती है।

2— <u>तनकी नम्बर 2 का निर्णय</u> ::—

इस तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा प्रतिवादी सं. 5 का है। जैसा कि हमारे द्वारा तनकी नम्बर 1 के निर्णय में स्पष्ट किया गया है, कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात का जो जयसिंह की विरासत से खोला गया नामान्तरण संख्या 737 दिनांक 30.06.2009 को खोला गया है वह बिना पूर्ण जॉच कर खोला गया है, प्रस्तुत दस्तावेज से यह तो माना जा सकता है कि वर्णित कृषि आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात थी लेकिन गत नम्बरान में कौन कौन सी आराजी जयसिंह जी के खाते की थी वह दस्तावेज इस दावा पत्रावली मे प्रस्तुत नहीं किया गया है, चूँकि जयसिंह के चार भाई थे। इस प्रकार वर्णित कृषि आराजीयात जिस पर खातेदार जयसिंह के जीवनकाल से ही प्रतिवादी मांगीलाल का कब्जा होकर काश्त चली आ रही है तथा मांगीलाल के पिता कन्हैयालाल जो कि काफी समय से ही लापता चल रहे है साथ ही वर्णित भूमि को जयसिंह जी ने अपने जीवनकाल में ही मांगीलाल के नाम पर पंजीकृत वसीयत पत्र से निष्पादित कर दिया था , जिसे वादीया ने भी अपने बयानो में जिरह में यह बात स्वीकार किया है कि कृषि आराजी पर मांगीलाल ही काबिज होकर काश्त कर रहा है। जब पंजीकृत वसीयतनामा जो कि खातेदार जयसिंह द्वारा अपने पोते मांगीलाल के पक्ष में पंजीकृत कराते हुए निष्पादित किया गया था जिसे निरस्त कराये बिना वादीया उक्त वाद वर्णित कृषि आराजीयात में किस आधार पर अपना नाम दर्ज करा सकती है? इस दावा पत्रावली मे प्रतिवादी (काउन्टर क्लेमकर्ता) के द्वारा भी ऐसा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जो यह स्पष्ट करता हो कि वर्णित कृषि आराजी जयसिंह जी की स्वअर्जित कृषि आराजी थी , इस प्रकार वर्णित कृषि आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात मानी जा सकती है लेकिन प्रतिवादी मांगीलाल के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा दस्तावेज को निरस्त कराये बिना वादीया इस वर्णित कृषि आराजी में अपना अधिकार नहीं रखती है। इस प्रकार यह तनकी बहक प्रतिवादी सं. 5 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3— <u>तनकी नम्बर 3 का निर्णय</u> :—

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या 5 काउन्टरक्लेम प्रस्तुतकर्ता पर है। जैसा कि तनकी नम्बर 1 में दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय किया गया है कि नकल जमाबंदी मौजा रायता की सम्वत 2064 से 67 तक की पेश की है जिसमें वर्णित कृषि आराजी संख्या 207, 223, 226, 482,757, 802, 998, 999, 1002, 1150/205, 1153/230, 1161/715 कुल कीता—12 कुल रकबा 2. 0250 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री जयसिंह पिता रूपा धाकड सा.देह खातेदार दर्ज थे जिसमें नोट अकित किया हुआ है कि नामा.सं. 731 विरासत 30.06.2009 से खाता कन्हैयालाल मांगीबाई पिता जयसिंह धाकड सा.देह खातेदार के नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई का नोट अंकित है। हम यह उपर तनकी नम्बर 1 मे स्पष्ट कर चुके है कि न्यायालय के समक्ष वादीया एवं प्रतिवादी काउन्टरक्लेम प्रस्तुत कर्ता द्वारा कही भी अपने वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र में यह तथ्य न्यायालय के सामने नहीं लाया गया कि कन्हैयालाल जो जयसिंह के पुत्र थे वह वर्ष 2005 से ही अपने घर से लापता व्यक्ति थें। जब कन्हैयालाल लापता थे तब

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

इस आधार पर विरासत के नामान्तरण संख्या 737 जो कि दिनांक 30.06.2009 को स्वीकृत किया गया था उसमें कन्हैयालाल का नाम जयसिंह की विरासत मे कैसे लगाया गया है। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–डी–1 पंजीकृत वसीयतनामा का अवलोकन हमारे द्वारा गहनता से किया गया जिसमें वसीयतकर्ता जयसिंह द्वारा यह स्पष्ट अंकित किया है कि कन्हैयालाल उनका कहना नही मानते थे तथा दिमागी हालत से ठीक नहीं थे साथ ही जयसिंह ने उनकी पुत्री मांगीबाई जिसका विवाह कर दिया था तथा उन्हें जो कुछ दिया जाना था वह दे दिया अब इस चल अचल सम्पत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं मानते हुए दिनांक प्रतिवादी मांगीलाल काउन्टरक्लेम प्रस्तुतकर्ता के पक्ष में दिनांक 14.09.1999को पंजीकृत वसीयत नामा निष्पादित किया था, उससे पूर्व से ही मांगीलाल जो कि अपने दादा जी के जीवन काल से ही कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे थे, तो किस आधार पर वादीया मांगीबाई का नाम इस वर्णित कृषि आराजीयात में लगाया गया है, जैसा कि विदित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैत्रिक सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार वर्ष 2005 से दिया गया है लेकिन उससे पूर्व वाद वर्णित कृषि आराजीयात की जो पंजीकृत वसीयत पत्र जो कि मांगीलाल के नाम पर है को निरस्त कराये वगैर ही मांगीबाई उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में अपना नाम लगा पाने की अधिकारी नहीं होती है। प्रस्तुत दस्तावेज पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादी सं. 5 काउन्टरक्लेम कर्ता इस वर्णित कृषि आराजी में अपने नाम को दर्ज कराने की घोषणा करा पाने के अधिकारी पाये जाते हैं। इस प्रकार तनकी नम्बर 3 बहक प्रतिवादी संख्या 5 काउन्टरक लेम प्रस्तुतकर्ता के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4– <u>तनकी नम्बर 4 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार भी प्रतिवादी संख्या 5 काउन्टर क्लेमकर्ता पर है। जैसा कि तनकी नम्बर 4 में निर्णित किया गया है कि वाद वर्णित कृषि आराजी मौजा रायता की आराजी संख्या 207, 223, 226, 482,757, 802, 998, 999, 1002, 1150/205, 1153/230, 1161/715 कुल कीता–12 कुल रकबा 2.0250 हैक्टर भूमि मे पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रतिवादी सं. 5 मांगीलाल काउन्टरक्लेम प्रस्तुतकर्ता अपना नाम घोषित करा पाने अधिकारी पाये गये है, तथा वर्णित उक्त कृषि आराजीयात पर मांगीलाल का कब्जा काश्त उनके दादा जी के जीवनकाल से ही चला आ रहा है तो प्रतिवादी संख्या 5 काउन्टरक्लेम प्रस्तुतकर्ता यह अधिकार भी रखते है कि वे प्रतिवाद पत्र में अंकित प्रतिवादी संख्या 1,2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है, जैसा कि पत्रावली में प्रस्तुत कन्हैयालाल पुत्र जयसिंह की सिविल डेथ का निर्णय मौजूद है तो प्रतिवादी संख्या 1 मांगीबाई को ही जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबद किया जाता है कि वे प्रतिवादी मांगीलाल काउन्टरक्लेम प्रस्तुतकर्ता के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न अन्य से करावे साथ ही वर्णित कृषि आराजीयात में मांगीबाई अपने नाम के आधार आराजीयात को रहन क्रय बक्षीस आदि कर खुर्द बुर्द न करें इस स्थायी निषेधाज्ञा को प्राप्त कर पाने के अधिकारी प्रतिवादी सं. 5 मांगीलाल काउन्टरक्लेमकर्ता पाये जाते है। इस प्रकार यह तनकी नम्बर 4 बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

5– <u>तनकी नम्बर 5 का निर्णयः–</u>

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार भी वादीया पर है। इस वाद पत्र मे कायम तनकी नम्बर 1 से लगायत 4 तक जो कि दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रतिवादी सं. 5 काउन्टर क्लेम प्रस्तुतकर्ता के पक्ष में सिद्ध हुई है। जैसा किइस दावा पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–डी–1 पंजीकृत वसीयतनामा पत्र जो कि खातेदार जयसिंह पिता रूपा के द्वारा अपने पोते मांगीलाल पुत्र कन्हैयालाल धाकड के नाम पर दिनांक 14.09.1999 को निष्पादित कराई है तो वादीया का यह कथन अपने आप में ही मिथ्या हो जाता है कि प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में कोई वसीयत नहीं थी? इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2013 से 16 तक मौजा रायता में गत नम्बरान की जमाबंदी जो कि रूपा पिता बरदा धाकड के नाम पर कृषि भूमि की है जिसके गत नम्बरान के नवीन नम्बारान जो बने है उनका मिलान भी भू–प्रबन्ध मिलान से किया गया है लेकिन जैसा कि हमारे द्वारा स्पष्ट किया है कि रूपा के चार पुत्र थे जिसमें वर्णित गत नम्बरान की आराजीयात जो कि चारो के नाम पर संयुक्त रूप से खाते में दर्ज थी उनमें से कौन कौन सी आराजी जयसिंह के नाम पर गत नम्बरान की दर्ज की गई थी वह जमाबंदी इस दावा पत्रावली मे प्रस्तुत नहीं की है। साथ जो रूपा जी के नाम की जमाबंदी है वह भी प्रदर्श नहीं कराई गई है बाद मे पेश की है। वर्णित कृषि आराजीयात को पैत्रिक भूमि माना जा सकता है लेकिन इस भूमि में वादीया मांगीबाई को तब तक अधिकार नहीं होता है, जब तक पंजीकृत वसीयत नामा मांगीलाल के पक्ष में निष्पादित है, क्यो कि कोई भी पंजीकृत दस्तावेज बिना निरस्त कराये प्रभावी रहता है। प्रतिवादी सं. 5 काउन्टरक्लेमकर्ता अपना प्रतिवाद पत्र पंजीकृत वसीयत पत्र के आधार पर ही लाये है जिनका वादाधिकार लाने का अधिकार सिद्ध हो

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

है। इस प्रकार यह तनकी विरूद्ध वादीया बहक प्रतिवादी सं. 5 काउन्टर क्लेम कर्ता के पक्ष में निर्णित की जाती है।

इस प्रकार इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सभी तनकी वादीया के विरूद्ध व प्रतिवादी (काउन्टर क्लेमकर्ता) कें पक्ष में सिद्ध होना पाया गया है जिससे वादीया का वाद पत्र निरस्त किया जाने योग्य एवं प्रतिवादी सं. 5 मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत काउन्टरक्लेम को स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीया अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से वादीया का वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रतिवादी सं. 5 मांगीलाल की ओर प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर स्वीकार किया जाता है। वाद वर्णित कृषि आराजी मौजा रायता पटवार हल्का रायता की आराजी संख्या 207, 223, 226, 482,757, 802, 998, 999, 1002, 1150/205, 1153/230, 1161/715 कुल कीता–12 कुल रकबा 2.0250 हैक्टर भूमि में से कन्हैयालाल मांगीबाई पिता जयसिंह धाकउ सा.देह खातेदार का नाम हटाते हुए आराजी को प्रतिवादी मांगीलाल पुत्र कन्हैयालाल धाकड के नाम पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की घोषणा की जाती है। साथ ही वादीया एवं प्रतिवादपत्र की प्रतिवादी सं. 1 मांगीबाई पिता जयसिंह को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह मांगीलाल काउन्टरक्लेम प्रस्तुतकर्ता के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न अन्य से करावे साथ ही वर्णित कृषि आराजीयात में मांगीबाई अपने नाम के आधार आराजीयात को रहन क्रय बक्षीस आदि कर खुर्द बुर्द न करें इस स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिकी
(आदेश 20 नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या ::– 56/2012

मांगीबाई पुत्री जयसिंह जी जाति धाकड निवासी रायता तह0 बेगूँ
वादीया

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र जयसिंह जी जाति धाकड निवासी रायता तह0 बेगूँ
2. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बेगूँ
3. भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ
4. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ
5. मंगीलाल पुत्र कन्हैयालाल धाकड निवासी रायत तह0 बेगूँ
6. घीसीबाई पत्नि कन्हैयांलाल धाकड निवासी रायता तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 17.07.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है। प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र अ0धा0 88–188 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर दावा अंतिम डिकी किया जाता है :–

अतः वाद वादीया अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से वादीया का वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रतिवादी सं. 5 मांगीलाल की ओर प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर स्वीकार किया जाता है। वाद वर्णित कृषि आराजी मौजा रायता पटवार हल्का रायता की आराजी संख्या 207, 223, 226, 482,757, 802, 998, 999, 1002, 1150/205, 1153/230, 1161/715 कुल कीता–12 कुल रकबा 2.0250 हैक्टर भूमि में से कन्हैयालाल मांगीबाई पिता जयसिंह धाकउ सा.देह खातेदार का नाम हटाते हुए आराजी को प्रतिवादी मांगीलाल पुत्र कन्हैयालाल धाकड के नाम पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की घोषणा की जाती है। साथ ही वादीया एवं प्रतिवादपत्र की प्रतिवादी सं. 1 मांगीबाई पिता जयसिंह को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह मांगीलाल काउन्टरक्लेम प्रस्तुतकर्ता के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न अन्य से करावे साथ ही वर्णित कृषि आराजीयात में मांगीबाई अपने नाम के आधार आराजीयात को रहन कय बक्षीस आदि कर खुर्द बुर्द न करें इस स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है।

अंतिम डिकी आज दिनांक 17.07.2025 को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ़)

क्रमांक/सरिश्ता/2025/518 दिनांक ::– 21·7·2025

दावा संख्या 56/2012 व अनवान मांगीबाई बनाम कन्हैयालाल धाकड वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ़)